

अज अदालत
फर्द अहकाम
(नियम 26)

राशम पुत्र रमाराशम जाते
निवासी हरदालम
तह. सिवाहरी जिला
बनाम
खालोतर

देवराशम पुत्र दुपाराशम जाते
निवासी हरदालम
तह. सिवाहरी-बालीतर

मुकदमा संख्या 230/2025

तारीख हुकम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
---------------	--

08/10/25

यह वाद/आवेदन/अपील वादीगण/प्रार्थीगण/अपीलांट की ओर से वकील श्री पाबुराम बनिवाल अस्तगत धारा 211, 120 राजस्थान क्र. 2 के अधिनियम 1936 के तहत पेश किया गया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। वादीगण/प्रार्थीगण/अपीलांट द्वारा प्रतिवादीगण/विप्रार्थीगण/उतरदातागण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. जारी करने का निवेदन किया गया। जो प्रतिवादीगण/विप्रार्थीगण/उतरदातागण को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस/सम्मन से तलब किया जावे। रजिस्ट्री खर्चा वादीगण/प्रार्थीगण/अपीलांट वहन करेगा। वकील प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण/अपीलांट को विप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण/उतरदाता के नोटिस/सम्मन तलबी की दस्ती दी जावे। पत्रावली वास्ते-प्रतिवादीगण/विप्रार्थीगण/उतरदाता की तलबी व जवाब हेतु दिनांक 18/11/25 को पेश हो।

रमेश
उपखण्ड अधिकारी

पुनश्च:

पत्रावली हरदालम जिला सिवाहरी दिनांक 30-10-25

को पेश हो।

रमेश
उपखण्ड अधिकारी

सिवाहरी

30.10.2025

पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थी वकील उपस्थित।

पत्रावली के अवलोकन में पाया गया कि प्रस्तुत प्रकरण सीमाज्ञान की स्पष्ट रिपोर्ट के अभाव में पेश किया है, जो प्रथम दृष्टया चलने योग्य नहीं है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन बाद स्पष्ट सीमाज्ञान रिपोर्ट के पुनः बरामद करवाये जाने के हको को सुरक्षित रखते हुए आवेदन इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दपतर हो।

रमेश
उपखण्ड अधिकारी
सिवाहरी

